कार्यालय अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत गजा जिला–टिहरी गढ़वाल।

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER , NAGAR PANCHAYAT GAJA DIST-TEHRI GARHWAL

Mail Id:eonpgaja@gmail. Mob-9411363579

पत्रांकः– 647 / न0पं0 / 2021–22 दिनांकः– 13 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

उप वन संरक्षक
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती
टिहरी गढ़वाल।

विषयः– **नगर पंचायत गजा क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त वन भूमि के हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक संख्याः–397 / 16–3(2)दिनांकः–13 / 08 / 2019 के क्रम में नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त वन भूमि का प्रस्ताव बिन्दु संख्या 01 से 06 में वर्णित कमियों के कारण वापस किया गया। बिन्दु संख्या 01 से 06 में वर्णित कमियों का निराकरण निम्नानुसार स्वीकार करेंगे।

क्र0सं0	आपत्ति / कमियां	निराकरण / प्रतिउत्तर
1	प्रश्नः–प्रस्ताव में आपके द्वारा प्रस्तावित परियोजना की वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति चस्पा नहीं की गयी है।	उत्तरः–नगर पंचायत गजा को ''ट्रैंचिंग ग्राउण्ड / कूड़ा निस्तारण भूमि की स्थापना / सुदृढ़ीकरण'' हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–377 / 01(वि.आ.नि.दे.) / XXVii(1) / 2021 के द्वारा कूड़ा निस्तारण कार्य हेतु प्रथम किश्त के सापेक्ष धनराशि रू0–55,45200 / – (पचपन लाख पैंतालिस हजार दो सौ रूपये) अवमुक्त की गयी है, छायाप्रति संलग्न (अनुलग्नक–1)
2	प्रश्नः–प्रारूप–11 वन भूमि की मांग का औचित्य प्रमाण–पत्र में वन भूमि की आवश्यकता का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है।	उत्तरः–प्रारूप–11 वन भूमि की मांग का औचित्य प्रमाण–पत्र में वन भूमि का औचितय को वन क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर राजि0, नरेनद्रनगर टि0ग0 से प्रतिहस्ताक्षर कर प्रेषित है, छायाप्रति संलग्न।(अनुलग्नक–2)
3	प्रश्नः–प्रारूप–25 में राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम, जिससे प्रस्तावित सलि की हवाई दूरी 10 किमी0 दर्शायी गयी है का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है तथा उक्त दूरी का प्रमाण–पत्र आई0टी0जी0सी0 85 राजपुर रोड़ देहरादून से प्रमाणित करवाकर प्रस्ताव में चस्पा करना चाहें।	उत्तरः–प्रारूप–25 के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण के पत्र संख्याः–File no. 3201–2D / 1 / 2020 के द्वारा नगर पंचायत, गजा से राजाजी टाईगर रिजर्व की निकटम सीमा से हवाई दूरी 13.6कि0मी0 जी0आई0एस0 तकनीकी के द्वारा संन्निकट आंकलित की गयी है, छायाप्रति संलग्न। (अनुलग्नक–3)
4	प्रश्नः–वन अधिकार अधिनियम 2006 की जिलास्तरी बैठक के दिनांकों में भिन्नता पायी गयी है।	उत्तरः–दिनांक 16 / 06 / 2018 को वन अधिकार अधिनियम 2006 की जिलास्तरी बैठक सम्पन्न की गई।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गजा
टिहरी गढ़वाल

5	प्रश्नः—प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप—46 आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण प्राक्कलन प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या क—972/3—5—2(ii) दिनांक 21—11—2017 से जारी मु0 1210.00 प्रति वृक्ष की दरानुसार प्राक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार करवाकर चस्पा करना चाहें।	उत्तरः—100 वृक्षो की रोपण योजना के अन्तर्गत वन क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर राजि, नरेन्द्रनगर टि0ग0 द्वारा 100 वृक्षों का (वर्ष 2021—22 की दर 1464/— के अनुसार) प्राक्कलन 1464/— रू0 के अनुसार तैयार करवार दिया गया है, छायाप्रति संलग्न। (अनुलग्नक—4)
6	प्रश्नः—खाड़ी रोड़ पर स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड/कूड़ा निस्तारण हेतु वन भूमि में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वर्कशॉप प्लांट का निर्माण हेतु डी0पी0आर0 बनाने के लिए कोटेशन आमंत्रित की	उत्तरः—बिन्दु संख्या 06 में वर्णित कमियों का निराकरण किये जाने के क्रम में अवगत कराना है कि नगर पंचायत गजा द्वारा वन भूमि के चारों ओर **R.C.C.** पिल्लरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन रखा जा रहा है। जिससे यथा शीघ्र नगर पंचायत गजा उक्त प्रस्तावित कूड़ा स्थल भूमि पर डंपिंग जोन बना कर उस पर यथोचित कार्य पूर्ण किए जा सकें।

अतः आप द्वारा प्रेषित पत्र के बिन्दु 01 से 06 में वर्णित बिन्दुओं में पाई गई ममियों का निराकरण कर प्रेषित है। कृपया नगर पंचायत गजा की कूड़ा निस्तारण की भूमि का हस्तानान्तरण की कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर करते हुई अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण स्तर का है।

<u>संलग्नः— उपरोक्तानुसार।</u>

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, गजा टि0ग0।

प्रतिलिपिः—

1— मा0 अध्यक्षा नगर पंचायत, गजा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, गजा टि0ग0।